FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुमित्रा देवी बनाम मोहन सिंह आदि

किस्म मुकदमा 251 ए आरटीए नम्बर 12 सन् 2019

मिसल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...06.19	प्रार्थीया सुमित्रा देवी पत्नि शंकर दास जाति खटीक निवासी केसरीसिंहपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त भूमि के संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर को रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.07.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	
17/7/19	प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित आया व राजीनामा की छायाप्रति पेश की। निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थिया का अप्रार्थीगण से राजीनामा हो चुका है। प्रार्थिया आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती व प्रकरण को इसी स्टेज पर वापिस लेना चाहती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	[illegible] प्रति ली गई 17/7/19 (D.S. BRAR ADV) पक्षकारान का राजीनामा हो गया है आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती Not press by Advocate

Scanned by CamScanner